



2665

कमांकः प.9(73)राज-1/2012

जयपुर, दिनांक : 05.02.2016

## अधिसूचना :--

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अनापित संख्या 11/9/2015—एम एण्ड जी, दिनांक 29.12.2015 के अनुसरण में जिला श्रीगंगानगर की तहसील श्रीकरणपुर के राजस्व ग्राम " 27एफ कमीनपुरा " (27F KAMEENPURA) का नाम परिवर्तित कर " महादेवनगर (चक 27 एफ) " (MAHADEVNAGAR (Chak 27 F)) किया जाता है :--

श्रीगंगानगर/	नाम <b>27एफ</b>	नाम <b>महादेवनगर</b>	
श्रीकरणपुर	कमीनपुरा	(चक 27 एफ)	

Sriganganagar/	27F	(MAHADEVNAGAR	महादेवनगर
Srikaranpur	KAMEENPURA	(Chak 27 F))	(चक 27 एफ)
District/Tehsil	Existing Name of the Revenue Village	Spelling of the New Name in Roman Script	Spelling of the New Name in Devnagri Script

भविष्य में इसे परिवर्तित नाम " महादेवनगर (चक 27 एफ) " से जाना—पहचाना व संबोधित किया जावेगा। उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम के नाम परिवर्तन से प्रभावित अभिलेखों के संधारण/नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

23/2

आज्ञा से

**(दुर्गा जोशी)** संयुक्त शासन सचिव

NO (CEN)

कृ०प०उ०.....